न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/251/2015

उनवान

1. संजय कुमार तिवाडी पुत्र शिवदत्त तिवाडी निवासी नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने, माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री नीलकंठ महादेव स्थान देह जरिये तथाकथित महंत श्री दीपक पुरी निवासी बस स्टेण्ड माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 83/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.7.2015

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री बी एल वैष्णव, श्री आर एन गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा,श्री एस एन सोमानी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भीलवाडा की सरहद में वादी नीलकंठ महादेव स्थान देह की खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 3026 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। जो नीलकंठ महादेव मंदिर माण्डल के सामने मेजा रोड पर स्थित है। वादी नीलकंठ महादेव स्थान देह जो मंदिर मूर्ति होकर शास्वत नाबालिग है जिसकी व्यवस्था एवं प्रबन्धन की सारी कार्यवाही पुजारी श्री दीपक पुरी द्वारा की जा रही है तथा देवस्थान विभाग द्वारा महंत श्री दीपकपुरी को वादी श्री नीलकंठ महादेव मदिर को प्रन्यासी माना है। वादग्रस्त आराजी वादी के नाम पर दर्ज है जो शास्वत नाबालिग है तथा वादी की उपरोक्त आराजी पर किसी को अवैध तौर पर कब्जा करने का अधिकार नही है। लेकिन वादी की उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर रखा है तथा वहॉ पर पट्टियों का स्टॉक लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है तथा मंदिर मूर्ति की जमीन पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

2. वादी स्थान देह के महन्त दीपक पुरी ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर मंदिर मूर्ति की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादी ने कब्जा नहीं हटाया इस पर वादी की ओर से दिनांक 27.9.2012 को जरिये रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रेषित कर कब्जा हटाने का निवेदन किया वह सूचना पत्र भी प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हो गया लेकिन उसके पश्चात भी प्रतिवादी ने कब्जा नहीं हटाया इस कारण वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध आराजियात जैर बहस से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त किये जाने की डिक्री बाबत वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध ग्राम माण्डल की वादग्रस्त आराजी नम्बर 3026 रकबा 9 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर वादी को कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.7.2015 की जानकारी होते ही उक्त निर्णय व डिक्री की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 13.8.2015 को प्रस्तुत कर दी गई। जहॉ पर डिक्री की पालना के लिए स्थगन आदेश जारी कर दिया गया । परन्तु अपील के क्षेत्राधिकार पर दिनांक 2.11.2015 को सुनवाई कर क्षेत्राधिकार में नहीं मानते हुए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील निरस्त कर दी गई। जिस पर नकलें प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया । नकलें प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय एवं डिक्री पारित की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री इतनी शीघ्रता से तैयार की गई है कि वाद पत्र में वादी द्वारा खसरा नम्बर 3026 अंकन किया गयाहै जबकि डिक्री में खसरा नम्बर 3028 अंकित किया गया है। जब तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री में संशोधन नही किया जाता तब तक डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी विवादित आराजियात पर अतिक्रमी के रूप मे काबिज नहीं होकर नीलकण्ठ महादेव के तत्कालीन महन्त श्री शंकर पुरी से उक्त प्लोट 200/—रूपये प्रतिमाह के हिसाब से दिनांक 15.4.1991 से किराये पर ले रखी है तथा बतौर किरायेदार काबिज है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 13.7.2015 को अपीलार्थी/वादी का जवाब बन्द कर निर्णय पारित कर दिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय में वादी जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं कर पाया था। लोक अदालत में दोनों पक्षकारान के मध्य समझाइश कराये बिना ही मनमकूसद तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 1994 (1) पेज 247, डी एन जे 2015 (1) पेज 525, डी एन जे 2016 (1) पेज 432 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3026 रकबा 09 बिस्वा भूमि नीलकण्ड महादेव स्थान देह की आराजी है जो मंदिर मूर्ति

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की होकर शास्वत नाबालिग की भूमि है। जिस पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर वहॉ पट्टियों का स्टॉक लगाकर अपीलार्थी द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनयम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा की सरहद में वादी नीलकंठ महादेव स्थान देह की खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 3026 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। जो नीलकंठ महादेव मंदिर माण्डल के सामने मेजा रोड पर स्थित है। वादी नीलकंठ महादेव स्थान देह जो मंदिर मूर्ति होकर शास्वत नाबालिग है जिसकी व्यवस्था एवं प्रबन्धन की सारी कार्यवाही पुजारी श्री दीपक पुरी द्वारा की जा रही है तथा देवस्थान विभाग द्वारा महंत श्री दीपकपुरी को वादी श्री नीलकंठ महादेव मदिर का प्रन्यासी माना है। वादग्रस्त आराजी वादी के नाम पर दर्ज है जो शास्वत नाबालिग है तथा वादी की उपरोक्त आराजी पर किसी को अवैध तौर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर कब्जा करने का अधिकार नही है। लेकिन वादी की उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर रखा है तथा वहॉ पर पट्टियों का स्टॉक लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है तथा मंदिर मूर्ति की जमीन पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा है। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध ग्राम माण्डल की वादग्रस्त आराजी नम्बर 3026 रकबा 9 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित की जावे।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खतौनी ग्राम मांण्डल संवत 2066 से 2069 का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त आराजी नम्बर 3026 रकबा09 बिस्वा नहरी प्रथम जो कि सिंचाई के स्त्रोत 3022 से सिंचित होना दर्शाया गया है। उक्त भूमि के काश्तकार के कॉलम में श्री नीलकण्ठ महादेव स्थान देह खातेदार का नाम दर्ज किया गया है। उक्त भूमि चूंकि नीलकंठ महादेव स्थान देह जो मंदिर मूर्ति होकर शास्वत नाबालिग है।

14. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में लिपिकिय भूल से अंकित आराजी नम्बर 3028 को दुरूस्त किया जाकर दिनांक 24.8.2015 को संशोधित निर्णय व संशोधित डिक्री जारी की जा चुकी है । अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपील मेमों का विवेचन करने के उपरान्त मेरे विनम्र अभिमत में आराजी नम्बर 3026 रकबा 9 बिस्वा भूमि नीलकण्ठ महादेव स्थान देह मंदिर मूर्ति की भूमि है । जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अविधिक व अनाधिकृत कब्जा किया गया है। इस क्रम में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन उपरान्त तथा प्रतिवादी को विस्तृत रूप से सुनकर कैम्प कोर्ट माण्डल में जो अपीलाधीन निर्णय पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दिनांक 13.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/251/2015

उनवान

1. संजय कुमार तिवाडी पुत्र शिवदत्त तिवाडी निवासी नीलकंठ महादेव मंदिर के सामने, माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री नीलकंठ महादेव स्थान देह जरिये तथाकथित महंत श्री दीपक पुरी निवासी बस स्टेण्ड माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 83/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/251/2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 20.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल वैष्णव, श्री आर एन गुप्ता वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा,श्री एस एन सोमानी ,उपस्थिति मे दिनांक 20.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

: अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दिनांक 13.7.2015 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 20.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस